भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2177
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

पश्चिम खासी हिल्स में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयों की स्थापना

†2177. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोणः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अनन्नास, हल्दी और काली मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध री-भोई और पश्चिम खासी हिल्स जैसे पहाड़ी जिलों में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयाँ स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा दूरस्थ पहाड़ी गांवों से आने वाले नाशवान उत्पादों के लिए शीत भंडारण, पैकेजिंग और बाजार संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं लगाता है। हालाँकि, यह मेघालय के री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स ज़िलों सहित पूरे देश में अपनी केंद्र क्षेत्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना के माध्यम से ऐसे उद्योग लगाने को बढ़ावा देता है और इस तरह खाद्य उत्पादों के मूल्य वर्धन को बढ़ाने में सहायता करता है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं।

पीएमएफ़एमई के अन्तर्गत, पिछले पांच वर्षों में री भोई जिले में अन्नानास प्रसंस्करण में 2 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए ऋण और मसाले प्रसंस्करण में 1 ऋण मंज़ूर किया गया है। इसी तरह, पिछले पांच वर्षों में वेस्ट खासी हिल्स जिले में अन्नानास समेत फल आधारित उत्पादों के लिए 8 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण मंज़ूर किए गए हैं।

पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत, री भोई जिले में 2 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें से एक परियोजना को पिछले पांच वर्षों में मंज़ूरी दी गई है, जिसकी लागत 9.92 करोड़ रुपये है और इसके लिए 4.61 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी गई है।

एमओएफ़पीआई, मेघालय के दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों सहित पूरे देश में अपनी तीन योजनाओं के माध्यम से , शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए पात्र उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है। इन योजनाओं का मकसद फार्म से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना बनाना है, जिसमें भंडारण , परिवहन, मार्केट लिंकेज बनाना आदि शामिल हैं। इससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा और प्रसंस्करण स्तर बढ़ेगा, कृषि उपज की बर्बादी कम होगी और कृषि से इतर रोज़गार अवसर का सृजन होगा।

पीएमएफ़एमई योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अन्तर्गत, एफ़पीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसवीपी को उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ एक कॉमन पैकेजिंग और ब्रांडिंग बनाने के लिए सहायता दी जाती है।

एमओएफ़पीआई अपनी योजनाओं के अन्तर्गत, स्टैंडअलोन शीत भंडारण सुविधा बनाने के लिए वित्तीय सहायता नहीं देता है। हालांकि, यह पीएमकेएसवाई के संबंधित योजना घटक के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के हिस्से के रूप में शीत भंडारण अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देता है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 एमटी तक की क्षमता वाले शीत भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित बागवानी की विभिन्न गतिविधियों के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाती है।
